

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4-सुभाष रोड, देहरादून- 248001

Email id-cco_uttaranchal@eci.gov.in फ़ैक्स नं० (0135) 2713724 फ़ोन नं० (0135) - 2713551

संख्या 199 /XXV-12 (P-14)/2021 देहरादून: दिनांक 09 फरवरी, 2026

सेवा में,

पंजीकृत

श्री मोहित सिंह,
एडवोकेट
एजेन्सी चौक पौडी गढवाल।
मो० नं०-9760127732
Email bisht2067@gmail.com

विषय- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचना का प्रेषण।
महोदय

उपरोक्त विषयक अपने अनुरोध पत्र दिनांक 19.01.2026 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें आपके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 1,2,3,4,5,7 सूचना के एवज में रू० 40.00 (चालीस रुपये मात्र) अतिरिक्त शुल्क पोस्टल ऑर्डर के द्वारा जमा कर दिया गया है।

उक्त के कम में आपको बिन्दु संख्या 1,2,3,4,5,7 की सूचनाएं (28) प्रमाणित छायाप्रतियों में नियमानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं। इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि आप असंतुष्ट हों तो आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर विभाग के अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवत है, अपील दायर कर सकते हैं।

संलग्न-यथोपरि-(28)

भवदीय,

अपीलीय अधिकारी का पता
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल,
सचिवालय परिसर 4-सुभाष रोड,
देहरादून-248001
मो० नं०-9897995591

Digitally signed by
BASANT SINGH RAWAT
Date: 09-02-2026
12:58:23 (सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी।
मो० नं० 9411740189

①

विन्दु संख्या । एवं ३

①

उत्तरांचल शासन
निर्वाचन विभाग,
संख्या ४११/सी०ई०ओ०/निर्वाचन-२(ले.अ.)/२००३
दिनांक: देहरादून: ३१ मार्च, २००३

कार्यालय आदेश

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के पत्र संख्या ११५४ बी/नियुक्ति / निर्वाचन/२००१ दिनांक १८ दिसम्बर, २००१ के क्रम में निश्चित मानदेय पर संविदा के आधार पर कार्यरत श्री हरक सिंह बिष्ट को दिनांक ०१-०४-२००३ से वाहन चालक के वेतनमान ३०५०-४५९० में नियुक्त किया जाता है।

२. यह नियुक्ति अस्थाई है तथा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
३. श्री हरक सिंह बिष्ट को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।

N. Ravi Shankar

(एन० रवि शंकर)

सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी.

संख्या ४११(१)/सी०ई०ओ०/निर्वाचन-२(ले.अ.)/२००३, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

१. महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबेराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
२. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
३. संबंधित कर्मचारी।
४. कार्यालय प्रति।

आज्ञा से-

N. Ravi Shankar

(एन० रवि शंकर)

सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी.

OL
31/3/2003

प्रमाणित
P. S. Rawat
(बी. एस. रावत)
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

(2)

वि.सू. संख्या - 1 एवं 3

उत्तरांचल शासन
निर्वाचन विभाग,

010046653

संख्या 898 / सी0ई0ओ0 / निर्वाचन-2(ले.अ.) / 2003

दिनांक: देहरादून: 31 मार्च, 2003

कार्यालय आदेश

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के पत्र संख्या 296/सी.ई.ओ./निर्वाचन-नियुक्ति /2002 दिनांक 30 मार्च, 2002 के क्रम में निश्चित मानदेय पर संविदा के आधार पर कार्यरत श्री रामप्रीत गौड़ को दिनांक 01-04-2003 से अनुसेवक के वेतनमान 2550-3200 में नियुक्त किया जाता है।

2. यह नियुक्ति अस्थायी है तथा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

3. श्री रामप्रीत गौड़ को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।

N. Ran Shanker

(एन0 रवि शंकर)

सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी.

संख्या 898 (1) / सी0ई0ओ0 / निर्वाचन-2(ले.अ.) / 2003, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबेराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3. संबंधित कर्मचारी।
4. कार्यालय प्रति।

श.स. राव चावला (बी)

Ram Prity

आज्ञा से-

N. Ran Shanker

(एन0 रवि शंकर)

सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी.

संघीय

B. S. Rawat

(बी. एस. रावत)

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, 4 सुभाष रोड सचिवालय परिसर, देहरादून-248001

email id election09@gmail.com फोन नं (0135) - 2713760, 2713551 फैक्स नं (0135) -2713724

संख्या: 187 /XXV- 42 /2025 देहरादून दिनांक 06 फरवरी, 2026

कार्यालय ज्ञाप

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192 के अन्तर्गत आयकर आगणन एवं वेतन से श्रोत पर आयकर कटौती किये जाने का उत्तरदायित्व आहरण वितरण अधिकारी का है। इस परिपेक्ष्य में वित्तीय वर्ष 20025-26 हेतु वेतन से आयकर छूट योग्य कटौती/बचतों के अतिरिक्त आप द्वारा स्वयं की जाने वाली बचतों का विवरण भी प्रमाणकों एवं पै नं. की छायाप्रति व आयकर जमा करने की पुरानी कर व्यवस्था अथवा नई कर व्यवस्था, जो भी हो के आधार पर पूर्ण विवरण सहित दिनांक 15 फरवरी, 2026 तक अनिवार्यतः उपलब्ध कराने का कष्ट करें (बिना स्वप्रमाणित छायाप्रति के प्रमाणकों को गणना में नहीं लिया जायेगा) अन्यथा की स्थिति में उपलब्ध अभिलेखानुसार आयकर से छूट योग्य बचतों के आधार पर आयकर की गणना करते हुए आयकर की कटौती कर ली जायेगी।

(मस्तू दास)

आहरण वितरण अधिकारी एवं
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

प्र०संख्या-187/XXV-42/2025 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. समस्त अधिनस्थ कार्मिकों को अनुपालनार्थ।

(मस्तू दास)

आहरण वितरण अधिकारी एवं
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

(3)

विन्दु सेव्या - 1)

उत्तरांचल शासन
निर्वाचन विभाग,
संख्या २५ / सी०ई०ओ० / नि०अनु०-२(अधिष्ठान) / २००३
दिनांक: देहरादून: १९ अप्रैल, २००३
कार्यालय आदेश

उत्तर प्रदेश मृतक आश्रित सेवा नियमावली-१९७४ एवं तत्सम्बन्धी उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या १०५५/कार्मिक-१/२००१ दिनांक २२ जून, २००१ में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला निर्वाचन कार्यालय चमोली में वरिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत श्री गोपाल सिंह बर्ताल की सेवाकाल में असामयिक मृत्यु के फलस्वरूप उनके पुत्र श्री उदयबीर सिंह को कनिष्ठ लिपिक के पद पर वेतनमान रूपये ३०५०-४५९० में अस्थाई रूप से जिला निर्वाचन कार्यालय चमोली में रिक्त कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्त किया जाता है।

- २- यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है तथा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
- ३- नियुक्त व्यक्ति को प्रथमबार कार्यभार ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- ४- नियुक्त व्यक्ति को शासकीय हित में प्रदेश के किसी भी जनपद में स्थानान्तरित किया जा सकता है।
- ५- नियुक्त व्यक्ति को शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत दरों पर मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
- ६- नियुक्त व्यक्ति को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्नांकित प्रमाण पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी चमोली के समक्ष तुरन्त प्रस्तुत करने होंगे:-
 १. मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा शासकीय सेवा हेतु प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।
 २. शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपि।
- ७- श्री उदयबीर सिंह को निर्देशित किया जाता है कि वे नियुक्ति पत्र की प्राप्ति के १० दिन के अन्दर अपने कार्यभार ग्रहण करने की सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी चमोली के समक्ष प्रस्तुत करें।

NK

(एन० रवि शंकर)

सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी.

संख्या २५ (१) / सी०ई०ओ० / नि०अनु०-२(अधिष्ठान) / २००३, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

१. महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबेराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
२. जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी, चमोली।
३. कोषाधिकारी, चमोली।
४. लेखा अनुभाग।
५. कार्यालय प्रति।

बि. एस. रावत
B. S. Rawat

(बी. एस. रावत)
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी

आज्ञा से-
NK

(एन० रवि शंकर)

सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी.

(4)

उत्तरांचल सरकार
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
संख्या 328/XXV-2 (3) (अधिष्ठान)/2006
दिनांक: देहरादून: 5 जुलाई, 2006

कार्यालय-आदेश

उत्तर प्रदेश मृतक आश्रित सेवा नियमावली-1974 एवं तत्सम्बन्धी उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या 1055/कार्मिक-1/2001 दिनांक 22 जून, 2001 में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला निर्वाचन कार्यालय, देहरादून में प्रवर सहायक के पद पर कार्यरत श्री रामरतन की सेवाकाल में असामयिक मृत्यु के फलस्वरूप उनके पुत्र श्री संजय कुमार को कनिष्ठ सहायक के पद पर वेतनमान रुपये 3050-4590 में अस्थाई रूप से जिला निर्वाचन कार्यालय, देहरादून में रिक्त कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त किया जाता है।

- 2- यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है तथा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
- 3- नियुक्त व्यक्ति को प्रथमबार कार्यभार ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- 4- नियुक्त व्यक्ति को शासकीय हित में प्रदेश के किसी भी जनपद में स्थानान्तरित किया जा सकता है।
- 5- नियुक्त व्यक्ति को शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत दरों पर मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
- 6- नियुक्त व्यक्ति को छः माह के भीतर कम्प्यूटर दक्षता की परीक्षा देनी होगी।
- 7- नियुक्त व्यक्ति को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्नांकित प्रमाण पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी, देहरादून के समक्ष तुरन्त प्रस्तुत करने होंगे:-
 1. मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा शासकीय सेवा हेतु प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।
 2. शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपि।
- 8- श्री संजय कुमार को निर्देशित किया जाता है कि वे नियुक्ति पत्र की प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर अपने कार्यभार ग्रहण करने की सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी देहरादून के समक्ष प्रस्तुत करें।

N. Ravi Shankar

(एन0 रवि शंकर)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी.

संख्या (1)/ XXV-2 (3) (अधिष्ठान)/2006 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तरांचल,
2. जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी, देहरादून।
3. कोषाधिकारी, देहरादून।
4. श्री संजय कुमार, पुत्र स्व. राम रतन, 26 घास मण्डी, राजपुर, देहरादून।
5. कार्यालय प्रति।

अस्थापिका
B. S. Rawat
(बी. एस. रावत)
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,
(एन0 रवि शंकर)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी.

(5)

उत्तराखण्ड सरकार,
निर्वाचन विभाग
संख्या : 36 /XXV-2(3)/2007,
दिनांक, देहरादून : 2 अगस्त, 2007

कार्यालय आदेश

शासनादेश संख्या 2415/17-ए-1-158/74, निर्वाचन विभाग दिनांक 18 मार्च, 1986 के सुसंगत प्राविधानों एवं कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिनांक 03 अगस्त, 2007 से प्राप्त सहमति के आधार पर जिला निर्वाचन कार्यालय देहरादून में संविदा (नियत वेतन) में कार्यरत कुमारी सोनिया काला पुत्री श्री मन मोहन को जिला निर्वाचन कार्यालय देहरादून में रिक्त कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतनमान 3050-75-3950-80-4590 पर समायोजित किया जाता है।

कु0 सोनिया काला को उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत आदेशों के आधार पर अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे। तथा कार्यभार ग्रहण हेतु यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

N. Panikwar
(एन0रवि शंकर)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

संख्या : /XXV-2(3)/2007, तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- जिला निर्वाचन अधिकारी, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि, उपरोक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण कराते हुए कार्यभार ग्रहण की सूचना अघोहस्ताक्षरी को यथाशीघ्र उपलब्ध कराये।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
- 4 -सम्बन्धित कर्मचारी।
- 5- विभागीय पत्रावली।

सत्यापित,
B. S. Rawat
(बी. एस. रावत)
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

आज्ञा से-
/
(एन0रवि शंकर)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

(6)

उत्तराखण्ड सरकार,
निर्वाचन विभाग
संख्या : /XXV-2(3)/2007,
दिनांक, देहरादून : 20 अगस्त, 2007

कार्यालय आदेश

शासनादेश संख्या 2415/17-ए-1-158/74, निर्वाचन विभाग दिनांक 18 मार्च, 1986 के सुसंगत प्राविधानों एवं कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिनांक 03 अगस्त, 2007 से प्राप्त सहमति के आधार पर जिला निर्वाचन कार्यालय देहरादून में संविदा (नियत वेतन) में कार्यरत श्री दीप चन्द्र जोशी पुत्र स्व० श्री पी.बी. जोशी को जिला निर्वाचन कार्यालय देहरादून में रिक्त कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतनमान 3050-75-3950-80-4590 पर समायोजित किया जाता है।

श्री जोशी को उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत आदेशों के आधार पर अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे। तथा कार्यभार ग्रहण हेतु यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

N. Ravi Shankar
(एन०रवि शंकर)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

संख्या : 133 /XXV-2(3)/2007, तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिला निर्वाचन अधिकारी, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि, उपरोक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण कराते हुए कार्यभार ग्रहण की सूचना अघोहस्ताक्षरी को यथाशीघ्र उपलब्ध करायें।
3. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
4. सम्बन्धित कर्मचारी।
5. विभागीय पत्रावली।

राज्यापि
Rajawad
(बी. एस. रावत)
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

आज्ञा से—
/
(एन०रवि शंकर)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी



उत्तराखण्ड सरकार,
निर्वाचन विभाग
संख्या : 135 /XXV-2(3)/2007,
दिनांक, देहरादून : 22 अगस्त, 2007

कार्यालय आदेश

शासनादेश संख्या 2415/17-ए-1-158/74, निर्वाचन विभाग दिनांक 18 मार्च, 1986 के सुसंगत प्राविधानों एवं कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिनांक 03 अगस्त, 2007 से प्राप्त सहमति के आधार पर जिला निर्वाचन कार्यालय नैनीताल में संविदा (नियत वेतन) में कार्यरत श्री मोहन सिंह कोरंगा पुत्र श्री खडग सिंह कोरंगा को जिला निर्वाचन कार्यालय नैनीताल में रिक्त कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतनमान 3050-75-3950-80-4590 पर समायोजित किया जाता है।

श्री मोहन सिंह कोरंगा को उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत आदेशों के आधार पर अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे। तथा कार्यभार ग्रहण हेतु यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

N. Rawi Shankh
(एन0रवि शंकर)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

संख्या : _____/XXV-2(3)/2007, तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- जिला निर्वाचन अधिकारी, नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कि, उपरोक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण कराते हुए कार्यभार ग्रहण की सूचना अघोहस्ताक्षरी को यथाशीघ्र उपलब्ध करायें।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, नैनीताल।
- 4 -सम्बन्धित कर्मचारी।
- 5- विभागीय पत्रावली।

सूचनापत्र
B.S. Rawat

(बी. एस. रावत)
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

आज्ञा से-

/
(एन0रवि शंकर)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

(8)

उत्तराखण्ड सरकार,
निर्वाचन विभाग
संख्या : 147 /XXV-2(3)/2007,
दिनांक, देहरादून : 22 अगस्त, 2007

कार्यालय आदेश

शासनादेश संख्या 2415/17-ए-1-158/74, निर्वाचन विभाग दिनांक 18 मार्च, 1986 के सुसंगत प्राविधानों एवं कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिनांक 03 अगस्त, 2007 से प्राप्त सहमति के आधार पर जिला निर्वाचन कार्यालय पौड़ी गढवाल में संविदा (नियत वेतन) में कार्यरत श्री जवाहर सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह को जिला निर्वाचन कार्यालय पौड़ी गढवाल में रिक्त कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतनमान 3050-75-3950-80-4590 पर समायोजित किया जाता है।

श्री जवाहर सिंह को उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत आदेशों के आधार पर अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे। तथा कार्यभार ग्रहण हेतु यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

N. Ravi Shankar
(एन0रवि शंकर)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

संख्या : /XXV-2(3)/2007, तददिनांकित।

प्रतिलिपि :निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- जिला निर्वाचन अधिकारी, पौड़ी गढवाल को इस आशय से प्रेषित कि, उपरोक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण कराते हुए कार्यभार ग्रहण की सूचना अघोहस्ताक्षरी को यथाशीघ्र उपलब्ध कराये।
- 3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी गढवाल।
- 4- सम्बन्धित कर्मचारी।
- 5- विभागीय पत्रावली।

राजेश्वर
B. Rawat
(बी एस रावत)
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

आज्ञा से-
(एन0रवि शंकर)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

(9)

उत्तराखण्ड सरकार,
निर्वाचन विभाग
संख्या : 137 /XXV-2 (3)/2007,
दिनांक, देहरादून : 22 अगस्त, 2007

कार्यालय आदेश

शासनादेश संख्या 2415/17-ए-1-158/74, निर्वाचन विभाग दिनांक 18 मार्च, 1986 के सुसंगत प्राविधानों एवं कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिनांक 03 अगस्त, 2007 से प्राप्त सहमति के आधार पर जिला निर्वाचन कार्यालय पिथौरागढ़ में संविदा (नियत वेतन) में कार्यरत श्री चन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह को जिला निर्वाचन कार्यालय पिथौरागढ़ में रिक्त कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतनमान 3050-75-3950-80-4590 पर समायोजित किया जाता है।

श्री चन्द्र सिंह को उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत आदेशों के आधार पर अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे। तथा कार्यभार ग्रहण हेतु यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

N - Ravi Shankh
(एन0रवि शंकर)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

संख्या : _____/XXV-2(3)/2007, तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- जिला निर्वाचन अधिकारी, पिथौरागढ़ को इस आशय से प्रेषित कि, उपरोक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण कराते हुए कार्यभार ग्रहण की सूचना अघोहस्ताक्षरी को यथाशीघ्र उपलब्ध करायें।
- 3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़।
- 4- सम्बन्धित कर्मचारी।
- 5- विभागीय पत्रावली।

हस्ताक्षर
12/8/07
(बी. एस. रावत)
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

आज्ञा से-
/ (एन0रवि शंकर)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

उत्तराखण्ड सरकार,
निर्वाचन विभाग
संख्या : 149 /XXV-2(3)/2007,
दिनांक, देहरादून : 22-अगस्त, 2007

कार्यालय आदेश

शासनादेश संख्या 2415/17-ए-1-158/74, निर्वाचन विभाग दिनांक 18 मार्च, 1986 के सुसंगत प्राविधानों एवं कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिनांक 03 अगस्त, 2007 से प्राप्त सहमति के आधार पर जिला निर्वाचन कार्यालय उत्तरकाशी में संविदा (नियत वेतन) में कार्यरत श्री भगवती प्रसाद पुत्र स्व० श्री जगदीश प्रसाद को जिला निर्वाचन कार्यालय उत्तरकाशी में रिक्त चौकीदार के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतनमान 2550-55-2660-60-3200 पर समायोजित किया जाता है।

श्री भगवती प्रसाद को उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत आदेशों के आधार पर अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे। तथा कार्यभार ग्रहण हेतु यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

N. Raji Swankh
(एन0रवि शंकर)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

संख्या : /XXV-2(3)/2007, तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तरकाशी को इस आशय से प्रेषित कि, उपरोक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण कराते हुए कार्यभार ग्रहण की सूचना अघोहस्ताक्षरी को यथाशीघ्र उपलब्ध करायें।
- 3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी।
- 4- सम्बन्धित कर्मचारी।
- 5- विभागीय पत्रावली।

सूचना
BSR

(बी.एस. रावत)
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

आज्ञा से-

(एन0रवि शंकर)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

उत्तराखण्ड सरकार,
निर्वाचन विभाग
संख्या : 154 /XXV-2(3)/2007,
दिनांक, देहरादून : 22 अगस्त, 2007

कार्यालय आदेश

शासनादेश संख्या 2415/17-ए-1-158/74, निर्वाचन विभाग दिनांक 18 मार्च, 1986 के सुसंगत प्राविधानों एवं कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिनांक 03 अगस्त, 2007 से प्राप्त सहमति के आधार पर जिला निर्वाचन कार्यालय बागेश्वर में संविदा (नियत वेतन) में कार्यरत श्री योगेश उपाध्याय पुत्र श्री महेश्वर दत्त उपाध्याय को जिला निर्वाचन कार्यालय बागेश्वर में रिक्त अनुसेवक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतनमान 2550-55-2660-60-3200 पर समायोजित किया जाता है।

श्री योगेश उपाध्याय को उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत आदेशों के आधार पर अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे। तथा कार्यभार ग्रहण हेतु यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

N. Ravi Shankar
(एन0रवि शंकर)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

संख्या : _____/XXV-2(3)/2007, तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- जिला निर्वाचन अधिकारी, बागेश्वर को इस आशय से प्रेषित कि, उपरोक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण कराते हुए कार्यभार ग्रहण की सूचना अघोहस्ताक्षरी को यथाशीघ्र उपलब्ध करायें।
- 3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर।
- 4- सम्बन्धित कर्मचारी।
- 5- विभागीय पत्रावली।

सत्यापित
B. S. Rawat आज्ञा से-
(बी. एस. रावत) (एन0रवि शंकर)
लोक सूचना अधिकारी प्रमुख सचिव एवं
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

(12)

उत्तराखण्ड सरकार,
निर्वाचन विभाग
संख्या : 155/XXV-2(3)/2007,
दिनांक, देहरादून : 22 अगस्त, 2007

कार्यालय आदेश

शासनादेश संख्या 2415/17-ए-1-158/74, निर्वाचन विभाग दिनांक 18 मार्च, 1986 के सुसंगत प्राविधानों एवं कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिनांक 03 अगस्त, 2007 से प्राप्त सहमति के आधार पर जिला निर्वाचन कार्यालय बागेश्वर में संविदा (नियत वेतन) में कार्यरत श्री अहमद अम्बर पुत्र श्री मौहम्मद अहसन को जिला निर्वाचन कार्यालय बागेश्वर में रिक्त चौकीदार के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतनमान 2550-55-2660-60-3200 पर समायोजित किया जाता है।

श्री अहमद अम्बर को उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत आदेशों के आधार पर अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे। तथा कार्यभार ग्रहण हेतु यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

N. Ranjiv Singh
(एन0रवि शंकर)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

संख्या : _____/XXV-2(3)/2007, तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- जिला निर्वाचन अधिकारी, बागेश्वर को इस आशय से प्रेषित कि, उपरोक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण कराते हुए कार्यभार ग्रहण की सूचना अघोहस्ताक्षरी को यथाशीघ्र उपलब्ध करायें।
- 3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर।
- 4- सम्बन्धित कर्मचारी।
- 5- विभागीय पत्रावली।

सत्यापित।
Ranjiv Singh

(बी एस रावत)
मुख्य सूचना अधिकारी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

आज्ञा से-

Ranjiv Singh
(एन0रवि शंकर)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

13

उत्तराखण्ड सरकार,
निर्वाचन विभाग
संख्या : 156 /XXV-2(3)/2007,
दिनांक, देहरादून : 27 अगस्त, 2007

कार्यालय आदेश

शासनादेश संख्या 2415/17-ए-1-158/74, निर्वाचन विभाग दिनांक 18 मार्च, 1986 के सुसंगत प्राविधानों एवं कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिनांक 03 अगस्त, 2007 से प्राप्त सहमति के आधार पर जिला निर्वाचन कार्यालय चम्पावत में संविदा (नियत वेतन) में कार्यरत श्री नारायण दत्त तिवारी पुत्र श्री टीका राम तिवारी को जिला निर्वाचन कार्यालय चम्पावत में रिक्त चौकीदार के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतनमान 2550-55-2660-60-3200 पर समायोजित किया जाता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी को उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत आदेशों के आधार पर अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे। तथा कार्यभार ग्रहण हेतु यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

N. Jani Shankar
(एन0रवि शंकर)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

संख्या : /XXV-2(3)/2007, तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- जिला निर्वाचन अधिकारी, चम्पावत को इस आशय से प्रेषित कि, उपरोक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण कराते हुए कार्यभार ग्रहण की सूचना अघोहस्ताक्षरी को यथाशीघ्र उपलब्ध कराये।
- 3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत।
- 4- सम्बन्धित कर्मचारी।
- 5- विभागीय पत्रावली।

सूचना

आज्ञा से-

B. Sawat

(बी. एस. रावत)
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

(एन0रवि शंकर)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

उत्तराखण्ड सरकार,
निर्वाचन विभाग
संख्या : 157/XXV-2(3)/2007,
दिनांक, देहरादून : 22 अगस्त, 2007

कार्यालय आदेश

शासनादेश संख्या 2415/17-ए-1-158/74, निर्वाचन विभाग दिनांक 18 मार्च, 1986 के सुसंगत प्राविधानों एवं कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिनांक 03 अगस्त, 2007 से प्राप्त सहमति के आधार पर जिला निर्वाचन कार्यालय चम्पावत में संविदा (नियत वेतन) में कार्यरत श्री सुनील कुमार पुत्र श्री गिरी राज किशोर को जिला निर्वाचन कार्यालय चम्पावत में रिक्त अनुसेवक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतनमान 2550-55-2660-60-3200 पर समायोजित किया जाता है।

श्री सुनील कुमार को उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत आदेशों के आधार पर अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे। तथा कार्यभार ग्रहण हेतु यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

N. Rav Shankar
(एन0रवि शंकर)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

संख्या : /XXV-2(3)/2007, तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- जिला निर्वाचन अधिकारी, चम्पावत को इस आशय से प्रेषित कि, उपरोक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण कराते हुए कार्यभार ग्रहण की सूचना अघोहस्ताक्षरी को यथाशीघ्र उपलब्ध करायें।
- 3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत।
- 4- सम्बन्धित कर्मचारी।
- 5- विभागीय पत्रावली।

बी. एस. रावत
B. S. Rawat

(बी. एस. रावत)
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

आज्ञा से-

(एन0रवि शंकर)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

15

उत्तराखण्ड सरकार,
निर्वाचन विभाग
संख्या : 158 /XXV-2(3)/2007,
दिनांक, देहरादून : 27 अगस्त, 2007

कार्यालय आदेश

शासनादेश संख्या 2415/17-ए-1-158/74, निर्वाचन विभाग दिनांक 18 मार्च, 1986 के सुसंगत प्राविधानों एवं कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिनांक 03 अगस्त, 2007 से प्राप्त सहमति के आधार पर जिला निर्वाचन कार्यालय अल्मोडा में संविदा (नियत वेतन) में कार्यरत श्री जग मोहन सिंह पुत्र श्री कुर्वर सिंह को जिला निर्वाचन कार्यालय अल्मोडा में रिक्त चौकीदार के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतनमान 2550-55-2660-60-3200 पर समायोजित किया जाता है।

श्री जग मोहन सिंह को उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत आदेशों के आधार पर अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे। तथा कार्यभार ग्रहण हेतु यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

N. Pan' Swach
(एन0रवि शंकर)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

संख्या : /XXV-2(3)/2007, तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- जिला निर्वाचन अधिकारी, अल्मोडा को इस आशय से प्रेषित कि, उपरोक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण कराते हुए कार्यभार ग्रहण की सूचना अघोहस्ताक्षरी को यथाशीघ्र उपलब्ध करायें।
- 3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोडा।
- 4- सम्बन्धित कर्मचारी।
- 5- विभागीय पत्रावली।

सत्यापित
P. S. Nand
SD

आज्ञा से-
(एन0रवि शंकर)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

16

उत्तराखण्ड सरकार,
निर्वाचन विभाग
संख्या : /XXV-2(3)/2007,
दिनांक, देहरादून : 17 अगस्त, 2007

कार्यालय आदेश

शासनादेश संख्या 2415/17-ए-1-158/74, निर्वाचन विभाग दिनांक 18 मार्च, 1986 के सुसंगत प्राविधानों एवं कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिनांक 03 अगस्त, 2007 से प्राप्त सहमति के आधार पर जिला निर्वाचन कार्यालय अल्मोडामें संविदा (नियत वेतन) में कार्यरत श्री अशोक कुमार पुत्र श्री गंगा सिंह कटायत को जिला निर्वाचन कार्यालय अल्मोडा में रिक्त कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतनमान 3050-75-3950-80-4590 पर समायोजित किया जाता है।

श्री अशोक कुमार को उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत आदेशों के आधार पर अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे। तथा कार्यभार ग्रहण हेतु यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

N. Ravi Shankar
(एन0 रवि शंकर)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

संख्या : /XXV-2(3)/2007, तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- जिला निर्वाचन अधिकारी, अल्मोडा को इस आशय से प्रेषित कि, उपरोक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण कराते हुए कार्यभार ग्रहण की सूचना अघोहस्ताक्षरी को यथाशीघ्र उपलब्ध कराये।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, अल्मोडा।
- 4 -सम्बन्धित कर्मचारी।
- 5- विभागीय पत्रावली।

सूचना
B. S. Rawat

(बी एस रावत)
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

आज्ञा से-

(एन0 रवि शंकर)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

(17)


वि.सं. संख्या - 2

उत्तराखण्ड सरकार
निर्वाचन विभाग,
संख्या- 402 / 25-XXV-1 (1-3) / 2008
दिनांक : देहरादून : 24 मार्च, 2009

(9)

कार्यालय ज्ञाप


लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2009 के सफलतापूर्वक सम्पादन हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या-373/ 25-XXV-1 (1-3)/2008 दिनांक 19 मार्च, 2009 के क्रम में श्री अरविन्द सिंह गुसाई, ग्राम-गहड़, पो0-गहड़खाल, जिला रुद्रप्रयाग उत्तराखण्ड को रूपये-4000/- (रूपये चार हजार मात्र) प्रतिमाह के नियत पारिश्रमिक पर संविदा के आधार पर दिनांक 01 अप्रैल, 2009 से अग्रिम आदेशों तक, जिला निर्वाचन कार्यालय देहरादून में नियुक्त किया जाता है। संविदा के आधार पर की गई उक्त व्यवस्था पूर्णतः अस्थाई होगी। भविष्य में नियमित रोजगार हेतु इसे कोई आधार नहीं माना जायेगा।



(राधा रतूड़ी)
सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

संख्या-402(1)/ / 25-XXV-1 (1-3) / 2008 तददिनांकित।

- प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- 1- जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी देहरादून।
 - 2- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
 - 3- मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
 - 4- श्री अरविन्द सिंह गुसाई, ग्राम-गहड़, पो0-गहड़खाल, जिला रुद्रप्रयाग उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह दिनांक 01 अप्रैल, 2009 को जिला निर्वाचन कार्यालय देहरादून में अपनी योगदान आख्या देना सुनिश्चित करें।
 - 5- कार्यालय प्रति।

आज्ञा से -


B. S. Rawat
(बी. एस. रावत)
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।


(डा0हेमलता ढौंडियाल)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

(18) विन्दु सत्य - 1
उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्, संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान
विकास प्रकोष्ठ अपर आमवाला देहरादून

प० सं० 9907-9938 / उप्राशिप / चयन संस्तुति / प०को०-56 / 2016-17 दिनांक- 30 जुलाई 2016

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय

4, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून

विषय:-लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह 'ग' के पदों पर नियुक्ति चयन संस्तुति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि आपके द्वारा प्रेषित अध्याचन के क्रम में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह 'ग' के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 4057/उप्राशिप/स०ग०भ०प०/2014 दिनांक. 8/2/14, 4063/उप्राशिप/ स०ग०भ०प०/2014 दिनांक. 9/2/14 एवं 5575/उप्राशिप/ स०ग०भ०प० /2014 दिनांक. 19/2/14 के माध्यम से विभिन्न विभागों में पदकोड-56, लिपिक वर्गीय पदों के अन्तर्गत रिक्त पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। लिखित परीक्षा का आयोजन दिनांक 28 फरवरी 2016 को किया गया। लिखित परीक्षा के आयोजन के उपरान्त लिखित परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर रिक्तियों के सापेक्ष 4 गुना अभ्यर्थियों को उनके अभिलेख सत्यापन एवं टंकण परीक्षा हेतु दिनांक 25 मई 2016 से दिनांक 31 मई 2016 के मध्य उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्, संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ, अपर आमवाला देहरादून में आमंत्रित किया गया। अभिलेख सत्यापन/टंकण परीक्षा में उपयुक्त अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दिये विकल्पों के आधार निम्नवत चयन की संस्तुति की जाती है:-

विभाग का नाम	107 मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय	पदनाम	कनिष्ठ सहायक	SN	ROLL NO	CANDIDATE NAME	FATHER'S NAME	DOB	CAT	HCAT	MARKS
1	1562002159	BRIJMOHAN SINGH	DHANSINGH	14-10-1976	OP	86.75					
2	1561066044	NITIN THAPA	SANJAY KUMAR THAPA	24-05-1992	OP	80.5					
3	1561036073	GAMBHIR SINGH	THAPED SINGH	25-07-1983	OP	79.5					
4	1561106143	MANMOHAN UNIYAL	GOVIND RAM UNIYAL	10-11-1989	OP	79					
5	1561308511	SURENDRA SINGH	SANGRAM SINGH	15-07-1994	OP	78.75					
6	1561031476	RAJENDRA SINGH	HARI SINGH	02-01-1994	OP	78.5					
7	1561082327	VIPIN RANA	DEVENDRA SINGH	15-05-1988	OP	78					
8	1561718192	HEMANT KUMAR	MOHAN LAL SHILWAL	12-05-1987	OBC	77.75					
9	1561080160	SHOYAB ANSARI	ZAHID ANSARI	10-07-1991	OBC	77.5					
10	1561101502	ARUN SHARMA	KRIPA RAM SHARMA	14-05-1990	ST	76.5					
11	1561028339	YOGITA THAPLIYAL	DIGAMBAR PRASAD THAPL	17-08-1982	GEN WO	76					
12	1561040111	PUSHPA	PRAMOD NEGI	16-04-1984	GEN WO	73					
13	1561244467	PERANGEN KUSHWAH	PALLU RAM	07-03-1992	SC	73					
14	1562119145	LALITA BHATT	BHAWANI DATT BHATT	02-07-1989	GEN WO	72.25					
15	1561099009	NIKHIL	ARVIND KUMAR	04-07-1989	SC	72.25					
16	1561224360	RAVEENA SHARMA	ANIL KUMAR SHARMA	07-11-1993	OBC WO	72.25					
17	1561234600	SHWETA GUPTA	PREM CHAND GUPTA	08-01-1986	GEN WO	70					
18	1561031251	BHANDARI AARTI PREM SINGH	PREM SINGH BHANDARI	09-02-1983	GEN WO	69.5					
19	1561404359	MANOJ KUMAR	TOTA RAM	20-06-1978	GEN EX	63.75					
20	1561024389	SANGEETA	PRATAP SINGH	03-09-1981	SC WO	62.75					
21	1561090578	DEEPA	CHAMAN LAL	01-01-1991	SC WO	62.75					

(बी एस रावत)
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी

(19)

संलग्नक 21 आवेदन पत्र मूल रूप में आपको हस्तगत कराये जा रहे हैं। समस्त चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की मूल प्रमाण पत्रों से जाँचोपरान्त नियमानुसार आदेश जारी करने का कष्ट करें। अतः अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में जो भी आदेश जारी किये जायें उसकी प्रति परिषद् के अवलोकनार्थ अधोहस्ताक्षरी को भी प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय

संलग्नक 21 आवेदन पत्र मूल रूप में

ह. स्यापि
बी. एस. रावत
(बी. एस. रावत)
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

हरि सिंह
(हरि सिंह)
सचिव

(20)

वि.सं. 14/08/23

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission

पत्रांक/Ref. No.: 230/परीक्षा/2023

Jt. C.E.O

दिनांक/Date: 02.08.2023

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
देहरादून।

Dr. km

14-8-2023

A-C.E.O

संबुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

विषय:-

कनिष्ठ सहायक (पद कोड-014/220/25/2020) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों
की चयन संस्तुति प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-1430 दिनांक 28.07.2018 तथा पत्र संख्या-303 दिनांक 06.03.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कनिष्ठ सहायक के 18 पदों का अधियाचन सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु प्रेषित किया गया है।

उक्त के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि:-

- उक्त पदों की लिखित परीक्षा विभिन्न विभागों के कनिष्ठ सहायक व इण्टरस्तरीय शैक्षिक अर्हता के पदों के साथ दिनांक 31 अक्टूबर, 2021 को आयोजित की गई। लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की दिनांक 30.05.2022 से 01.06.2022 तक टंकण परीक्षा आयोजित की गई। लिखित परीक्षा एवं टंकण परीक्षा के आधार पर आयोग द्वारा दिनांक 27.03.2023 को जारी औपबन्धिक श्रेष्ठता सूची के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों का दिनांक 03.04.2023 से 25.04.2023 तक अभिलेख सत्यापन किया गया।
- अभ्यर्थियों द्वारा विभागवार दी गई वरीयता के आधार पर श्रेष्ठता के क्रम में आपके द्वारा अधियाचित कनिष्ठ सहायक के 18 पदों के सापेक्ष निम्नांकित अभ्यर्थियों के अभिलेख, अधियाचन व नियमावली के अनुरूप पूर्ण पाए जाने पर निम्नानुसार अंकित अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु संस्तुति की जाती है:-

S.N.	Roll_No	Candidate Name	Father Name	DOB	Gender	Cate.	Sub cat.	Total Marks	Gen. Rank	Select As
1	1202762507	SANJAY SINGH GUSAIN	RAJENDRA SINGH GUSAIN	21-11-1994	MALE	OBC	NA	76.49	35	OPEN
2	1217761500	ANKIT RAWAT	LALIT SINGH RAWAT	18-02-2000	MALE	OBC	NA	75.63	47	OPEN
3	1202761647	ANIRUDHA PUROHIT	KESHWA NAND PUROHIT	14-08-1997	MALE	GEN	NA	73.70	86	OPEN
4	1201761663	PRADEEP BIJLWAN	SUNDAR LAL BIJLWAN	05-07-1994	MALE	OBC	NA	72.49	141	OPEN
5	1208762510	PRAVEEN BHATT	PRIYADHAR BHATT	18-11-1993	MALE	GEN	NA	72.34	147	OPEN
6	1222762040	RAJENDRA SINGH	GOVIND SINGH	10-07-1994	MALE	GEN	NA	72.34	149	OPEN

संस्थापित

(बी.एस. रावत)
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

नयन निर्यात

(21)

7	1235762181	VIPIN SINGH	SURAT SINGH	10-02-1993	MALE	EWS	NA	71.82	174	OPEN
8	1233762327	ANKIT SINGH GUSAIN	RAM SINGH GUSAIN	12-08-2000	MALE	OBC	NA	71.82	179	OPEN
9	1236762340	AKASH TIWARI	UMASHANKE R TIWARI	10-06-1997	MALE	GEN	NA	71.56	193	OPEN
10	1204762076	KIRAN SAKLANI	MAHADEV PRASAD SAKLANI	20-07-1999	FEMALE	OBC	NA	71.04	239	OBC
11	1401761199	AKSHITA	RAM PRASAD PANT	25-07-1998	FEMALE	GEN	NA	70.56	261	GEN-W
12	1228762237	AJAYPAL SINGH	BALBEER SINGH	02-03-1993	MALE	EWS	NA	70.26	278	EWS
13	1213761098	ANKIT JAYARA	K S JAYARA	07-03-1997	MALE	OBC	NA	70.08	297	OBC
14	1223761320	RANJANA	SURAT SINGH	11-04-1992	FEMALE	GEN	NA	69.84	317	GEN-W
15	1315762342	ROSHNI	DHYAN SINGH	25-06-1987	FEMALE	GEN	NA	69.22	371	GEN-W
16	1211761394	KM HIMANSHI	GAJE SINGH	11-03-1997	FEMALE	GEN	NA	68.87	417	GEN-W
17	2610762558	NITESH KUMAR	BHEEM SINGH	13-06-1996	MALE	SC	NA	67.15	627	SC
18	1320762060	MOHIT	PURAN SINGH	20-06-1998	MALE	SC	NA	64.30	1050	SC

इस संदर्भ में अवगत कराना है कि आयोग द्वारा आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन भराए जाते हैं व आवेदन पत्र के साथ शैक्षिक अर्हता आदि प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं होती है। आयोग द्वारा अभिलेखों का सत्यापन केवल इस दृष्टि से किया जाता है कि अभ्यर्थी की चयन हेतु सहमति का पता चल सके व साथ ही आवेदन पत्र में उल्लिखित न्यूनतम शैक्षिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास उपलब्ध हैं, या आवेदन पत्र में असत्य सूचना दी गई है, का ज्ञान हो सके। आयोग द्वारा किए जाने वाले अभिलेख सत्यापन में इन प्रमाण पत्रों की वैधता आदि का परीक्षण नहीं किया जाता है। उक्त चयनित अभ्यर्थियों के द्वारा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों को जारी करने वाली संस्था की मान्यता/वैधता की पुष्टि कराने के उपरान्त ही नियोक्ता द्वारा नियुक्ति के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जाय। कृपया नियोक्ता के स्तर पर इस बिन्दु को देख लिया जाय।

अतः अनुरोध है कि सम्बन्धित पद की सेवा नियमावली के अनुसार उपरोक्त अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन में प्राप्त अभिलेखों का अन्तिम रूप से सत्यापन, वैधता परीक्षण तथा आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए सम्बन्धित अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता से पूर्णतः सन्तुष्ट होने के पश्चात् ही उपरोक्त सूची में अंकित चयनित अभ्यर्थियों को शासकीय नियमों के अन्तर्गत नियुक्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से आयोग को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक- डोजियर (18)

ल. ल. ल. ल.
13/10/20

(बी एस रावत)
लोक सूचना अधिकारी
कार्बलय मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

भवदीय,
सुरेन्द्र सिंह रावत,
सचिव।

22

वि३ प्र३ - 4

उत्तराखण्ड शासन
निर्वाचन विभाग,
संख्या /XXV - 567 (2)/2007
दिनांक: देहरादून: 03 दिसम्बर, 2015

कार्यालय ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप संख्या-1083 / 25 - XXV / (2)/2008 दिनांक 30 अप्रैल, 2008 के द्वारा निर्वाचन जैसे समयवद्ध एवं महत्वपूर्ण कार्यों के सुव्यवस्थित संचालन एवं सम्पादन हेतु शासकीय कार्यहित में श्री मस्तू दास को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में अनुभाग अधिकारी के रिक्त पद के सापेक्ष वेतनमान 6500-200-10500 (यथा पुनरीक्षित 9300-34800+4800) में तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था। श्री मस्तू दास की दिनांक 01 मई, 2008 से वर्तमान समय तक, अनुभाग अधिकारी के पद पर निरन्तर सन्तोषजनक सेवा, कार्यकुशलता एवं कार्य दक्षता को ध्यान में रखते हुए कार्यहित/जनहित में उक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञाप संख्या-1083 / 25 - XXV / (2)/2008 दिनांक 30 अप्रैल, 2008 को अतिक्रमित करते हुए श्री मस्तू दास को दिनांक 01 मई, 2008 से मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में अनुभाग अधिकारी के पद पर वेतनमान 6500-200-10500 (यथा पुनरीक्षित 9300-34800+4800) में समायोजित किया जाता है।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

प्र० संख्या- 1083 / XXV - 567 (2) / 2007 तद दिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओवेरॉय बिल्डिंग, सहारपुर रोड देहरादून।
2. वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
3. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4. समस्त जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. संबंधित कार्मिक।
6. गार्ड फाईल।

सत्यापित
Belaawat

आज्ञा से,
(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

(बी एस रावत)
लोक सूचना अधिकारी
उत्तराखण्ड निर्वाचन अधिकारी
गण्ड।

(23)

वि.संख्या-4 511

उत्तराखण्ड सरकार
निर्वाचन विभाग,
संख्या 1700/XXV-24-1(1)/2011
दिनांक: देहरादून : 30 दिसम्बर, 2016

कार्यालय आदेश

उत्तर प्रदेश निर्वाचन अनुभाग-1 प्रकीर्ण 30 जून, 1992 निर्वाचन निदेशालय अधिकारी सेवा नियमावली-1992, (उत्तराखण्ड राज्य में यथा स्थापित) में उल्लिखित प्राविधानों के क्रम में निर्वाचन विभाग उत्तराखण्ड के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में वेतनमान रू0 5200-20200+2800 (ए0सी0पी0 द्वारा रू0 9300-34800+4800) में कार्यरत श्री बसन्त सिंह रावत, वरिष्ठ सहायक को विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर अनुभाग अधिकारी, समूह-ख के पद पर वेतनमान रू0 15600-39100+5400 में पदोन्नति प्रदान करते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय उत्तराखण्ड देहरादून में रिक्त पद पर तैनात किया जाता है।

उक्त कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वह पदोन्नति के फलस्वरूप तत्काल मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में अनुभाग अधिकारी के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

(राधा रतूड़ी)

प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

पू0संख्या /XXV-24-1(1)/2011, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, लक्ष्मी रोड़ डालनवाला, देहरादून।
3. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, लक्ष्मी रोड़ डालनवाला देहरादून।
4. उक्त सम्बन्धित कार्मिक, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय उत्तराखण्ड देहरादून।
5. कार्यालय प्रति।

सत्यापित

(बी. एस. रावत)
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

(राधा रतूड़ी)

प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

(24)

विन्दु संख्या-5

446

उत्तराखण्ड सरकार
निर्वाचन विभाग,
संख्या 932 / XXV-24-1(1) / 2011
दिनांक: देहरादून : 16 सितम्बर, 2016

कार्यालय आदेश

उत्तर प्रदेश सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सेवा नियमावली, 1992 (यथा संशोधित), 1994 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा स्थापित) में उल्लिखित प्राविधानों के क्रम में निर्वाचन विभाग उत्तराखण्ड के अधीन जिला निर्वाचन कार्यालय उत्तरकाशी में वरिष्ठ सहायक के पद पर वेतनमान रू0 5200-20200+2800 में कार्यरत श्री शान्तिलाल शाह को विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, (राजपत्रित) समूह-ख के पद पर वेतनमान रू0 15600-39100+5400 में पदोन्नति प्रदान करते हुए जिला निर्वाचन कार्यालय उत्तरकाशी, में रिक्त पद पर तैनात किया जाता है।

उक्त कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वह पदोन्नति के फलस्वरूप तत्काल जिला निर्वाचन कार्यालय उत्तरकाशी में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करते हुए, तदनुसार कार्यभार ग्रहण करने की सूचना सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

पू0संख्या 932 / XXV-24-1(1) / 2011, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तरकाशी।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी।
4. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तरकाशी।
5. गार्ड फाईल।

बी. एस. रावत
B. S. Rawat

(बी. एस. रावत)
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
D/C R

(25)

विन्दु संख्या-5

(20)

उत्तराखण्ड सरकार
निर्वाचन विभाग,
संख्या 632 /XXV-24-1(1)/2011
दिनांक: देहरादून : 25 अप्रैल, 2018
कार्यालय आदेश

निर्वाचन विभाग उत्तराखण्ड के कार्यालय ज्ञाप संख्या-349/XXV-20/2017 दिनांक 05 मार्च, 2018 के क्रम में निम्नलिखित मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों को निर्वाचन कार्य की प्रकृति (तात्कालिकता, महत्ता एवं समयबद्धता) को दृष्टिगत रखते हुए सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी (वेतनमान रू0 15600-39100+5400 यथा पुनरीक्षित सातवें वेतनक्रम रू0 56100-177500 लेवल-10) के रिक्त पद पर तैनात किया जाता है:-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	श्रेणी	वर्तमान तैनाती जनपद	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी के रिक्त पद पर तैनाती जनपद
1	श्री भुवन सिंह राणा	सामान्य	उधम सिंह नगर	पिथौरागढ़
2	श्री नैन सिंह महारा	सामान्य	हरिद्वार	चम्पावत

उक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्तानुसार तत्काल सम्बन्धित जिला निर्वाचन कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते हुए, तदनुसार कार्यमुक्ति/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

ह0-
(सौजन्या)
सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

पू0संख्या 632 / XXV-24-1(1)/2011, तददिनांकित।

- प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन कौलागढ़ देहरादून।
 2. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, उधमसिंह नगर, हरिद्वार, पिथौरागढ़ एवं चम्पावत।
 3. वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उधमसिंह नगर, हरिद्वार, पिथौरागढ़ एवं चम्पावत।
 4. उक्त सम्बन्धित अधिकारी द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी।
 5. गार्ड फाईल।

(बी. एस. रावत)
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

(डा. वी0 षण्मुग्ग)
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी

(26)

वि-5-7

Luplicate

उत्तर प्रदेश सरकार
निर्वाचन विभाग ।

संख्या-4287/17-ए-1-239/91

लखनऊ : दिनांक 30 APR 1994

अधिसूचना

प्रकाश

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश निर्वाचन विभाग सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सेवा नियमावली, 1992 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश निर्वाचन विभाग सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सेवा {द्वितीय संशोधन} नियमावली, 1994

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

- 1- §1 यह नियमावली उत्तर प्रदेश निर्वाचन विभाग सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सेवा {द्वितीय संशोधन} नियमावली, 1994 कही जायेगी ।
§2 यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

नियम 2 का
प्रतिस्थापन

- 2- उत्तर प्रदेश निर्वाचन विभाग सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सेवा नियमावली, 1992 जिसे अग्रे उक्त नियमावली कहा गया है, के नाम पर स्तम्भ-एक में दिये गये नियम-2 के स्थान पर, स्तम्भ-दो में दिया गया नियम रख दिया जायगा, अर्थात्:-

स्तम्भ एक

स्तम्भ-दो

वर्तमान नियम

स्तम्भ-द्वारा प्रतिस्थापित नियम

सेवा की
प्रास्थिति

- 2-उत्तर प्रदेश निर्वाचन विभाग सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सेवा में समूह "ग" के पद समाविष्ट हैं ।
सेवा की प्रास्थिति 2-उत्तर प्रदेश सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सेवा में समूह "ख" के पद समाविष्ट हैं ।

नियम 5 का
प्रतिस्थापन

- 3- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये नियम-5 के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया नियम रख दिया जायगा, अर्थात्:-

समाप्त


.....2/-

(बी. एस. रावत)
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

(27)

स्तम्भ-एक

वर्तमान नियम

का प्रोत्

5-सेवा में किसी पद पर भर्ती जिला निर्वाचन कार्यालयों में लिपिकों और कैशियर-कम-स्टोर क्लर्क में से, जिन्होंने इस रूप में आठ वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा की जायगी।

सू 8 का नियम

4- उक्त नियमावली के नियम 8 में नीचे स्तम्भ एक में दिये गये उप नियम 1.1 के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया उप नियम रख दिया जायगा, अर्थात्-

स्तम्भ-एक

वर्तमान उप नियम

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया 1.1 सेवा में पद पर भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर एक, चयन समिति के माध्यम से की जायगी जिसमें निम्नलिखित होंगे:

1 एक संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश .. अध्यक्ष

1 दो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जाने वाले दो अधिकारी जो समूह "ख" श्रेणी के अधिकारियों से निम्न न हों।

स्तम्भ-दो

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

भर्ती का प्रोत् 5-सेवा में किसी पद पर भर्ती जिला निर्वाचन कार्यालयों में मौलिक रूप से लिखित परिष्कृत लिपिकों और कैशियर-कम-स्टोर क्लर्क में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा की जायगी।

स्तम्भ-दो

एतद्वारा प्रतिस्थापित उप नियम

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया 1.1 सेवा में पद पर भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर एक, चयन समिति के माध्यम से की जायगी जिसमें निम्नलिखित होंगे:

1 एक संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश .. अध्यक्ष

1 दो मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जाने वाले दो अधिकारी जो समूह "क" के अधिकारियों से निम्न स्तर के न हों।

आज्ञा से,

श्रीवाण कुमार मुखर्जी
प्रमुख सचिव

सत्यापित
B. S. Lawat

(बी. एस. रावत)
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

संख्या-5894 §11§17-स-1- दिनांक 30 अप्रैल, 1994

प्रतिलिपि अधिसूचना के अंग्रेजी रूपान्तर सहित, निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उक्त अधिसूचना को आगामा साप्ताहिक गजट भाग-1-स में प्रकाशित करें तथा उसकी 300 प्रतियाँ इस विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

§बाबलाल श्रीवास्तव§
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं अनु सचिव।

संख्या-5894 §11§17-स- दिनांक का-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

हेतु प्रेषित :-

- §1§ महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- §2§ कार्मिक अनुभाग-1
- §3§ कार्मिक नियमावली कोष्ठक
- §4§ वित्त §व्यय-नियन्त्रण§ अनुभाग-12
- §5§ समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

§बाबलाल श्रीवास्तव§
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं अनु सचिव।

सत्यापित
B. S. Rawat
(बी एस रावत)
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी

पत्र - 30/01/2026

19/01/26

स्पीड पोस्ट

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड
देहरादून। 248001

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सूचना हेतु अतिरिक्त शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उरोक्त विषय अपने पत्र संख्या 22 दिनांक 06 जनवरी, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के अनुपालन में आपके द्वारा अधोहस्ताक्षरी को बिन्दु संख्या 1,2,3,4,5 एवं 7 की सूचना चाहने के एवज में धनराशि रू0-40 (चालीस रुपये मात्र) की मांग की गयी है। मांग की गयी धनराशि के एवज में रू0- 40.00 (चालीस रुपये) मात्र के पोस्टल ऑर्डर संलग्न कर निम्नानुसार उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

- 1- 71F381922=Rs. 10
- 3- 71F381923=Rs. 10
- 4- 71F381924=Rs. 10
- 5- 71F381925=Rs. 10

संलग्न:- पोस्टल ऑर्डर।

Mohit

मोहित सिंह
ऐडवोकेट,
ऐजेन्सी चौक पौड़ी,
पौड़ी गढ़वाल। 246001
मो0 नं0:-9760127732

पत्र - 30/01/2026

19/01/26

स्पीड पोस्ट

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड
देहरादून। 248001

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सूचना हेतु अतिरिक्त शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उरोक्त विषय अपने पत्र संख्या 22 दिनांक 06 जनवरी, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के अनुपालन में आपके द्वारा अधोहस्ताक्षरी को बिन्दु संख्या 1,2,3,4,5 एवं 7 की सूचना चाहने के एवज में धनराशि रू0-40 (चालीस रुपये मात्र) की मांग की गयी है। मांग की गयी धनराशि के एवज में रू0- 40.00 (चालीस रुपये) मात्र के पोस्टल ऑर्डर संलग्न कर निम्नानुसार उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

- 1- 71F381922=Rs. 10
- 3- 71F381923=Rs. 10
- 4- 71F381924=Rs. 10
- 5- 71F381925=Rs. 10

संलग्न:- पोस्टल ऑर्डर।

Mohit

मोहित सिंह
ऐडवोकेट,

ऐजेन्सी चौक पौड़ी,
पौड़ी गढ़वाल। 246001
मो0 नं0:-9760127732